॥ प्रकृतिः रक्षति रक्षिता ॥

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com   Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक-   /   12–1   मसूरी, दिनांक- 26 / 02 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 वन भूमि का गैर वनिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/13390/2015)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी–मध्य क्षेत्र) का पत्र संख्या–08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 102 / 2018 / एफ0सी0 / 2502, दिनांक–07.02.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपको निम्नवत् प्रेषित है :–

क0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1-	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात् 5.00 है0 ग्राम रिंगालगढ़ सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगुने 5.00 है0 ग्राम रिंगालगढ़ सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 16,85,920.00 (रू0 सौलह लाख पिचासी हजार नौ सौ बीस मात्र) जमा कर दी गयी है। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के आदेश जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के द्वारा पत्र संख्या–405 / XXXVI-AL(2018-19), दिनांक–नई टिहरी, जून,30,2021 के द्वारा किये गये हैं, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही खाता खतौनी में अमल दरामद सम्बन्धी दस्तावेज एवं वन विभाग द्वारा उक्त भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र मूल प्रति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

Scanned with CamScanner

2-	Guidline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 2 के अनुपालन में उल्लेखानुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण कर दाखिला–खारिज कर लिया गया है। उक्त भूमि को वन विभाग द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत संरक्षित घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या–5142 / 12–1, दिनांक–25.03.2022 से शासन को प्रेषित किये जाने हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा संरक्षित वन घोषित करने के नोटिफिकेशन जारी होने की प्रत्याशा में यह अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रस्तुत की जा रही है।
3-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि रू0 20,58,615.00 (बीस लाख अठावन हजार छ: सौ पन्द्रह रू0 मात्र) जमा कर दी गयी है।
4-	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया है, जो कि आपको प्रेषित है।
5-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 16,85,920.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 20,58,615.00, कुल रू0 37,44,535.00 (रू0 सैंतीस लाख चवालीस हजार पांच सौ पैंतीस मात्र) की धनराशि वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम से जमा कर दिये गये हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

Scanned with CamScanner

6-	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 108 से अधिक न हो।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 108 वृक्ष है।
7-	राज्य सरकार प्रभागीय वनाधिकारी से पुनः Distict Profile को प्रमाणित करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमाणित District Profile की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर।

संलग्नकः– यथोपरि (तीन प्रतियों में)

पत्रांक 339
फाईल 21 स्थि
दिनांक 01/04/022

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्याः– 5164/12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़।

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

AE IV (Prabhari) उ.अ. (A)

01/04/22

31/3/22

Scanned with CamScanner

::–आदेश–::

भारत सरकार पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/102/2018/एफ0सी0/2502 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा टिहरी गढ़वाल में जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत रिगांलगढ़ से दड़वा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति की शर्त संख्या 01 में उल्लेख किया गया है, कि वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अर्थात 5.00है0 ग्राम रिगांलगढ़ सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा । भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा लिखित स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,थत्यूड़ के द्वारा पत्रांक 559/21सी0 दिनांक 31.07.2019 के द्वारा प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण पर कार्यालय के पत्रांक –1126/ए0एल0सी0–2 दिनांक 04.06.2020 के क्रम में उपजिलाधिकारी धनोल्टी के पत्र संख्या–490/रजि0का0/(संयु0निरी0)2019–20 दिनांक धनोल्टी अप्रैल 22,2021 के द्वारा संयुक्त जांच आख्या निम्नवत् भूमि प्रस्तावित की गई हैः–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(है0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
रिगांलगढ़	राकलाना	06	250	0.640	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़
			268	1.235	
			299	0.877	
			817	1.265	
			818	0.503	
			849	0.480	
	योग–			5.00है0	

प्रस्तावित रिगांलगढ़ से दड़क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या –2882/XVIII(II)/11– 18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या –2365/ XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा,तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010राजस्व अनुभाग –2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रकबा 5.00 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों मे नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 405 /XXVI–AL–(2018–19)दिनांक,नई टिहरी, जून,30,2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
[illegible] देहरादून।

Scanned with CamScanner

Corporation Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 06-10-2020

Client Code.	CAM5089
Location. .	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6113390746
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/102/2018/FC
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri Garhwal Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdthatyur@rediffmail.com 9557823200 1376-246321
Amount(in Rs)	3744535/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words:Thirty-Seven Lakh Forty-Four Thousand Five Hundred and Thirty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Union Bank of India

CAMPA-MOEF Copy

Corporation Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 06-10-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6113390746
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/102/2018/FC
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdthatyur@rediffmail.com 9557823200 1376-246321
Amount(in Rs)	3744535/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words :Thirty-Seven Lakh Forty-Four Thousand Five Hundred and Thirty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Union Bank of India

BANK

Corporation Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 06-10-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6113390746
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/102/2018/FC
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdthatyur@rediffmail.com 9557823200 1376-246321
Amount(in Rs)	3744535/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words : Thirty-Seven Lakh Forty-Four Thousand Five Hundred and Thirty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Union Bank of India

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print Back

1/1

Scanned with CamScanner

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

Issuing Branch: THATUR
Tel No. 01376-246301

Key: QULGIZ
Sr. No: 861294

DEMAND DRAFT

0	6	1	1	2	0	2	0
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

COMPENSATORY

COMPENSATORY AFORESTATION FUN DMNGEMNT AND PLAINING ATHORITY

OR ORDER

ON DEMAND PAY

रुपये RUPEES Thirty Seven Lakh Forty Four Thousand Five Hundred and Thirty Five Only

अदा करें ₹ 3744535.00

IOI 000468606232
Name of Applicant

Key: QULGIZ Sr. No: 861294
BR PARKING A/C WITH INB-04529 SBI

AMOUNT BELOW 3744536(3/7)

VALUE RECEIVED

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

STATE BANK OF INDIA
BRANCH:PBB VASANT VIHAR DEHRADUN(4207
04207

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

⑈606232⑈ 000002000⑆ 000468⑈ 16

MANIPAL TECHNOLOGIES LIMITED, KARNATAKA / CTS-2010

06-2016

Scanned with CamScanner

शर्त सं0–04

शुद्ध वर्तमान मूल्य को अतिरिक्त धनराशि जमा करने की बचनबद्धता सम्बन्धी।

प्रमाण–पत्र

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिगालगढ से दडक गोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13390/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मत्रांलय के पत्र संख्या 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 102 / 2018, एफ0सी0 / 2502, दिनांक 07.02.2020 में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में "शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग थत्यूड जमा कराने हेतु बचनबद्व है"।

22/12/21
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

22/12/21
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।
E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक 2308 / 21 सी0 दिनांक 22/12/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिगालगढ से दडक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13390/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 102 / 2018, एफ0सी0 / 2502, दिनांक 07.02.2020।

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 102 / 2018, एफ0सी0 / 2502 दिनांक 07.02.2020 द्वारा प्राप्त हुई है। विधिवत स्वीकृति हेतु शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नवत है :-

शर्त सं0 1 :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)।

शर्त सं0 3 :- एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि जमा की जा चुकी है। (प्रति संलग्न)।

शर्त सं0 4 :- शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि जमा करने की बचनबद्धता सम्बन्धी प्रमाण पत्र। (प्रति संलग्न)।

शर्त सं0 5 :- ऑन लाइन चालान जनरेट करके ही बैंक में जमा किया गया है।

अतः आनलाईन जमा की गयी पैड रसीद तथा अन्य शर्तो की 03–03 प्रतियां आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, कि आप अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव विधिवत् स्वीकृति हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(इं0 रजनीश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

पत्रांक :- 2308 / 21 सी0 दिनांक 22/12/2021

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner